कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी–एफ/4114/डीमर्ज सूचना/2020/ दिनांक : 02.07.2020

अत्यावश्यक/तत्काल

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा

विषय : प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एकीकरण से मुक्त करने बाबत्।
प्रसंग : निदेशालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.06.20

– – – –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.06.20 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिन विद्यालयों को सत्र 2020–21 से एकीकरण से मुक्त कर संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है उन्हें एकीकरण से मुक्त करने के कार्य की प्रभावी मोनेटरिंग के साथ मंडल की समेकित संकलित संख्यात्मक सूचना विद्यालय खुलने के उपरांत इस कार्यालय को प्रेषित की जाये लेकिन अभी तक आप द्वारा समेकित सूचना नहीं भिजवाई गई है। अतः पुनः पाबन्द किया जाता है कि निम्नांकित **प्रपत्र ए व बी** में मंडल की समेकित सूचना इस कार्यालय की ई–मेल आई डी shakshikcelledu@gmail.com पर **आज ही भिजवायी जानी भिजवाई जानी सुनिश्चित करावे।**

प्रपत्र ए – संख्यात्मक सूचना का प्रपत्र

क्रस	जिले का नाम	एकीकरण से मुक्त कुल विद्यालय		प्रारंभ किये गये विद्यालय		प्रारंभ नहीं किये गये विद्यालय	
		प्रारंभिक से	माध्यमिक से	प्रारंभिक से	माध्यमिक से	प्रारंभिक से	माध्यमिक से
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र बी – जो विद्यालय अभी तक प्रारंभ नहीं किये गये (प्रपत्र ए के कॉलम संख्या 7 व 8 अनुसार) की सूची

क्रस	जिले का नाम	विद्यालय जहां से डीमर्ज किया जाना था (प्राशि से/माशि से)	प्रारम्भ नहीं किये गये विद्यालय का नाम	विद्यालय प्रारंभ नहीं किये जाने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

नोट–

1. कुछ विद्यालयों को अन्य विभाग को दिये जाने के कारण नहीं खोला जाना बताया है , राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसे भवन को तत्काल खाली करवाकर विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जावे।
2. कुछ विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण नहीं खोला जाना बताया है उन विद्यालय भौतिक सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था करवाकर विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जावे।
3. कुछ विद्यालयो मे नामांकन के अभाव में नहीं खोला जाना बताया है उनमे राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोविड 19 की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए नामांकन वृद्धि का प्रयास कर विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जावे।

02.7.2020
अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक)
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
(1) समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा

सहायक निदेशक (शैक्षिक)
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर